राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– ढण्ढेला

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस.)

वाद सं0 :38 सन 2018

अनवान :–

1. भागीरथ पुत्र मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. मालाराम पुत्र केसुराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. जसवन्त पुत्र मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. हरकौरी पुत्री मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री विजय सिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 16.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 173/163 की कुल 7.0440हैक एवं रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 47/43 की कुल 3.3140हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा केसुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उनके पुत्रों पर वाद भूमि औद हुई जिसमें वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाद भूमि विरास्तन से दर्ज हुई विरास्तन से भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 वादी की बहने है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत – 2018 कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का मेरे साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया ।

हमने वकील वादी की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा केसुराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने के उपरान्त विरास्तन उसके पुत्रों पर दर्ज हुई तथा वादी के पिता के नाम से वाद भूमि विरास्तन से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ,4 वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार कर लिया है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3, 4 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टॉम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों /प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 173/163 की कुल 7.0440हैक , एवं रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 47/43 की कुल 3.3140हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– अखेर रूप्ये पांच हजार का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–ढण्ढेला

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–ढण्ढेला

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. भागीरथ पुत्र मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 मालाराम पुत्र केसुराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. जसवन्त पुत्र मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. हरकौरी पुत्री मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री मालाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 38सन 2018 निर्णय दिनांक– 16.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 173/163 की कुल 7.0440हैक , एवं रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 47/43 की कुल 3.3140हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– अखेर रूप्ये पांच हजार का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–ढण्ढेला